# ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की दिनांक 28.05.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की 9वीं बैठक की कार्यवाही।

उपस्थित :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 ज़ाहिद हुसैन खान | सदस्य |
| 3. | श्री योगेश मोहन जी गुप्ता | सदस्य |
| 4. | प्रो0 वी0डी0 मिश्रा | सदस्य |
| 5. | श्री अजमल हुसैन ज़ैदी | सदस्य |
| 6. | श्री एस0के0 शुक्ल, कुल सचिव | सचिव |

कार्यपरिषद की बैठक में श्री भानु प्रताप सिंह, वित्त अधिकारी भी उपस्थिति रहे। माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन महोदय (सदस्य, न्यायिक) अन्य व्यवस्तताओं के कारण बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाये।

## कार्यवाही

**मद संख्या–1**

**दिनांक 18.03.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की 8वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद ने अपनी 8वीं बैठक दिनांक 18.03.2017 की कार्यवाही के मद संख्या–03 व मद संख्या–8.3 में निम्नलिखित संशोधन व परिभार्जन के साथ अपनी उक्त दिनांक 18.03.2017 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की:

**दिनांक 18.03.2017 की 8वीं बैठक के मद संख्या–3 के अंकित निर्णय का संशोधन/परिमार्जन**

| दिनांक 18.03.2017 की कार्यवाही का अंकन | दिनांक 18.03.2017 की संशोधित/परिमार्जित कार्यवाही |
|---|---|
| माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय के आदेश | माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्याः |

| | |
|---|---|
| संख्याः ई–4997 / जी0एस0 दिनांक 13.06.2014 के संदर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18.01.2016 से गठित निम्नलिखित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को कार्यपरिषद ने प्राप्त किया :–<br>(1) मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस0के0 त्रिपाठी– अध्यक्ष<br>(2) श्री एन0एस0 कुशवाहा, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 – सदस्य<br>(3) डॉ0 अशोक मित्तल, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़– सदस्य<br>कार्यपरिषद ने जांच समिति की प्रस्तुत आख्या के सम्यक् परीशीलनोपरान्त तथा सम्यक विचार–विमर्श उपरान्त उक्त जांच आख्या के बिन्दु संख्या–160 (डॉ0 फख़्रे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू से सम्बन्धित), बिन्दु संख्या–161 (डॉ0 अब्दुल हफीज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी से सम्बन्धित) एवं बिन्दु संख्या–162 (डॉ0 माहरूख मिर्ज़ा, प्रोफेसर, वाणिज्य से सम्बन्धित) पर अंकित निष्कर्षों तथा बिन्दु संख्या–163 पर अंकित सूची के क्रमांक(v) (डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी से | ई–4997 / जी0एस0 दिनांक 13.06.2014 के संदर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा अपनी बैठक दिनांक 18.01.2016 से गठित निम्नलिखित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को कार्यपरिषद ने प्राप्त किया :–<br>(1) मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस0के0 त्रिपाठी – अध्यक्ष<br>(2) श्री एन0एस0 कुशवाहा, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 – सदस्य<br>(3) डॉ0 अशोक मित्तल, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़– सदस्य<br>कार्यपरिषद ने जांच समिति की प्रस्तुत आख्या के सम्यक् परीशीलनोपरान्त तथा सम्यक विचार–विमर्श उपरान्त उक्त जांच आख्या के बिन्दु संख्या–160 (डॉ0 फख़्रे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू से सम्बन्धित), बिन्दु संख्या–161 (डॉ0 अब्दुल हफीज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी से सम्बन्धित) एवं बिन्दु संख्या–162 (डॉ0 माहरूख मिर्ज़ा, प्रोफेसर, वाणिज्य से सम्बन्धित) पर अंकित निष्कर्षों तथा बिन्दु संख्या–163 पर अंकित सूची के क्रमांक(v) (डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी से सम्बन्धित) व उक्त बिन्दुओं पर अंकित |

| | |
|---|---|
| सम्बन्धित) व उक्त बिन्दुओं पर अंकित शिक्षको से सम्बन्धित विवेचना तथा निष्कर्षों को छोड़कर शेष जांच आख्या तथा उसके निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि विषयाधीन प्रकरण में किसी अग्रेत्तर कार्यवाही के पूर्व जांच समिति की रिपोर्ट पर माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय का मार्गदर्शन (Guidance) तथा उनकी सहमति (Concurrence) प्राप्त कर ली जाए। | शिक्षको से सम्बन्धित विवेचना तथा निष्कर्षों को छोड़कर शेष जांच आख्या तथा उसके निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि विषयाधीन प्रकरण में किसी अग्रेत्तर कार्यवाही के पूर्व जांच समिति की रिपोर्ट पर माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय का मार्गदर्शन (Guidance) तथा उनकी सहमति (Concurrence) प्राप्त कर ली जाए। |
| यह निर्णय लेते समय कार्यपरिषद ने नोट किया कि डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी के सम्बन्ध में जांच आख्या के पृष्ठ 74–75 पर अंकित समिति की परीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–126 तथा पृष्ठ 94–95 पर अंकित अर्ह/अनर्ह की सूची विषयक बिन्दु संख्या–163 [क्रमांक(V)] में कदाचित टंकण त्रुटि के कारण विरोधाभाष हो रहा है जिसे जांच समिति से स्पष्ट/शुद्ध कराकर ही शुद्धि पत्र के साथ जांच आख्या माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय को | यह निर्णय लेते समय कार्यपरिषद ने नोट किया कि डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी के सम्बन्ध में जांच आख्या के पृष्ठ 74–75 पर अंकित समिति की परीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या–126 तथा पृष्ठ 94–95 पर अंकित अर्ह/अनर्ह की सूची विषयक बिन्दु संख्या–163 [क्रमांक(V)] में कदाचित टंकण त्रुटि के कारण विरोधाभाष हो रहा है जिसे जांच समिति से स्पष्ट/शुद्ध कराकर ही शुद्धि पत्र के साथ जांच आख्या माननीय श्री राज्यपाल/विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय को सहमति |

| | |
|---|---|
| सहमति (Concurrence) व मार्गदर्शन (Guidance) हेतु प्रेषित की जाये। | (Concurrence) व मार्गदर्शन (Guidance) हेतु प्रेषित की जाये। |
| जांच आख्या के बिन्दु संख्या–160 (डॉ0 फख़्रे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू से सम्बन्धित), बिन्दु संख्या–161 (डॉ0 अब्दुल हफीज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी से सम्बन्धित) एवं बिन्दु संख्या–162 (डॉ0 माहरूख मिर्ज़ा, प्रोफेसर, वाणिज्य से सम्बन्धित) पर अंकित निष्कर्षों तथा बिन्दु संख्या–163 पर अंकित सूची के क्रमांक(v) (डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी से सम्बन्धित) से सम्बन्धित शिक्षकों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद ने **दो विषय विशेषज्ञों तथा एक विधि विशेषज्ञ की त्रिसदस्यीय समिति (प्रत्येक विषय के शिक्षक के सम्बन्ध में पृथक–पृथक) गठित करने का निर्णय लेते हुए विषय विशेषज्ञों/विधि विशेषज्ञ के नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया।** | जांच आख्या के बिन्दु संख्या–160 (डॉ0 फख़्रे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू से सम्बन्धित), बिन्दु संख्या–161 (डॉ0 अब्दुल हफीज, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी से सम्बन्धित) एवं बिन्दु संख्या–162 (डॉ0 माहरूख मिर्ज़ा, प्रोफेसर, वाणिज्य से सम्बन्धित) पर अंकित निष्कर्षों तथा बिन्दु संख्या–163 पर अंकित सूची के क्रमांक(v) (डॉ0 तनवीर खदीजा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी से सम्बन्धित) से सम्बन्धित शिक्षकों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद ने **कार्यपरिषद सदस्य प्रो0 वी0डी0 मिश्रा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें दो विषय विशेषज्ञ होंगे जिनका नामांकन समिति अध्यक्ष प्रो0 वी0डी0 मिश्रा द्वारा किया जायेगा।** |
| उक्त त्रिसदस्यीय समिति सम्बन्धित शिक्षकों के प्रकरण को Re-examine करते हुए अपनी सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) निर्धारित | उक्त त्रिसदस्यीय समिति सम्बन्धित शिक्षकों के प्रकरण को Re-examine करते हुए अपनी सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) निर्धारित |

| | |
|---|---|
| नियमों / विधानों के आलोक में तथा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 12.02.2017 का संज्ञान लेते हुए देगी। कार्यपरिषद ने अग्रेत्तर यह भी निर्देशित किया कि समितियाँ इस प्रकार से सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) दे जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो। | नियमों / विधानों के आलोक में तथा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 12.02.2017 का संज्ञान लेते हुए देगी। कार्यपरिषद ने अग्रेत्तर यह भी निर्देशित किया कि समितियाँ इस प्रकार से सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) दें जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो। |
| साथ ही साथ कार्यपरिषद ने डॉ0 मसऊद आलम, प्रोफसेर अरबी विभाग (जांच आख्या क्रमांक–159), जिनका प्रकरण जांच समिति द्वारा विश्वविद्यालय को "For the Consideration and appropriate decision of University in Accordance with the Law" के अनुसार निर्णय लेने हेतु प्रेषित (Remand) किया है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि प्रो0 मसऊद आलम का कार्य / प्रकाशन आदि जैसा कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में क्लेम किया है, उत्कृष्ट कार्य (Eminent Work) की श्रेणी में आता है या नहीं, इस बिन्दु विशेष पर आख्या देने के लिए **दो विषय विशेषज्ञों तथा एक विधि विशेषज्ञ की त्रिसदस्यीय समिति गठित की जाये। समिति गठित करने के लिए कुलपति को कार्यपरिषद ने** | साथ ही साथ कार्यपरिषद ने डॉ0 मसऊद आलम, प्रोफसेर अरबी विभाग (जांच आख्या क्रमांक–159), जिनका प्रकरण जांच समिति द्वारा विश्वविद्यालय को "For the Consideration and appropriate decision of University in Accordance with the Law" के अनुसार निर्णय लेने हेतु प्रेषित (Remand) किया है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि प्रो0 मसऊद आलम का कार्य / प्रकाशन आदि जैसा कि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में क्लेम किया है, उत्कृष्ट कार्य (Eminent Work) की श्रेणी में आता है या नहीं, इस बिन्दु विशेष पर आख्या देने के लिए **कार्यपरिषद ने कार्यपरिषद सदस्य प्रो0 वी0डी0 मिश्रा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें दो विषय विशेषज्ञ होंगे जिनका** |

| | |
|---|---|
| **अधिकृत किया।** अग्रेत्तर कार्यपरिषद ने यह भी निर्देशित किया कि समिति अपनी सुस्पष्ट विधिसम्मत्, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) दे जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो। | **नामांकन समिति अध्यक्ष प्रो0 वी0डी0 मिश्रा द्वारा किया जायेगा।** अग्रेत्तर कार्यपरिषद ने यह भी निर्देशित किया कि समिति अपनी सुस्पष्ट विधिसम्मत्, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) दे जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो। |

**दिनांक 18.03.2017 की 8वीं बैठक के मद संख्या–6 का संशोधन**

| | |
|---|---|
| कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 का अवलोकन किया तथा सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।<br>साथ ही साथ कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय **जनरल्स** में गुणवत्तापरक रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हो, निदेशित किये जाने का निर्णय लिया। शिक्षकों द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपरों का पूर्ण विवरण प्रत्येक 06 माह में कार्यपरिषद की बैठक आहूत कर उसके समक्ष शिक्षकों की इस दिशा में प्रगति की समीक्षा तथा | कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 का अवलोकन किया तथा सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।<br>साथ ही साथ कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय **जर्नल्स** में गुणवत्तापरक रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हो, निदेशित किये जाने का निर्णय लिया। शिक्षकों द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपरों का पूर्ण विवरण प्रत्येक 06 माह में कार्यपरिषद की बैठक आहूत कर उसके समक्ष शिक्षकों की इस दिशा में प्रगति की समीक्षा तथा निर्णय के |

170

| | |
|---|---|
| निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। | क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। |

**दिनांक 18.03.2017 की 8वीं बैठक के मद संख्या–8.3 का संशोधन**

| | |
|---|---|
| कार्यपरिषद के माननीय सदस्य श्री योगेश मोहन जी गुप्ता द्वारा डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण पर विचार करने का अनुरोध किया गया। कार्यपरिषद ने डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण की Fact Finding Report प्रस्तुत करने हेतु **दो विषय विशेषज्ञों तथा एक विधि विशेषज्ञ की त्रिसदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लेते हुए विषय विशेषज्ञों/विधि विशेषज्ञ के नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत करने का निर्णय लिया।** उक्त त्रिसदस्यीय समिति सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्व की रिपोर्ट/निर्णय आदि को संज्ञान में रखते हुए अपनी सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) निर्धारित नियमों/ विधानों के आलोक में देगी, जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो। | कार्यपरिषद के माननीय सदस्य श्री योगेश मोहन जी गुप्ता द्वारा डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण पर विचार करने का अनुरोध किया गया। कार्यपरिषद ने डॉ0 आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण की Fact Finding Report प्रस्तुत करने हेतु **कार्यपरिषद सदस्य प्रो0 वी0डी0 मिश्रा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें दो विषय विशेषज्ञ होंगे जिनका नामांकन समिति अध्यक्ष प्रो0 वी0डी0 मिश्रा द्वारा किया जायेगा।** उक्त त्रिसदस्यीय समिति सम्बन्धित प्रकरण पर पूर्व की रिपोर्ट/निर्णय आदि को संज्ञान में रखते हुए अपनी सुस्पष्ट, विधिसम्मत, तर्कसंगत निष्कर्ष (Findings) निर्धारित नियमों/ विधानों के आलोक में देगी, जो कि In the eyes of law justified and sustainable हो। |

स्तम्भ–2 में Highlighted अंश संशोधन स्वरूप हैं। कार्यपरिषद की 7वीं बैठक के निर्णयों तथा उसकी सम्पुष्टि के सम्बन्ध में श्री अजमल हुसैन जैदी ने अपने पत्र दिनांक 06.05.2017 से जो आपत्ति दी थी उसे उन्होंने Withdraw कर लिया।

**मद संख्या—2**

**दिनांक 18.03.2017 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की 8वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण।**

**निर्णय—**

कार्यपरिषद ने दिनांक 18.03.2017 की बैठक के निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर इस अभ्युक्ति के साथ संतोष व्यक्त किया कि 04 शिक्षकों तथा प्रोफेसर मसऊद आलम व सुश्री आकांक्षा शुक्ला के प्रकरण में समिति का गठन मद संख्या—3 एवं मद संख्या—8.3 के कार्यवाही संशोधन के अनुसार होगा जैसा कि इस कार्यवाही के मद संख्या—1 में अंकित है।

**मद संख्या—3**

**विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 8वीं बैठक दिनांक 18.03.2017 के मद संख्या—3 से लिये गये निर्णय के अनुपालन में माननीय कुलाधिपति महोदय का मार्गदर्शन (Guidance) तथा उनकी सहमति (Concurrence) प्राप्त करने हेतु भेजे गये पत्र संख्या—1146 दिनांक 20.04.2017 के उत्तर में प्राप्त पत्र संख्या—ई—3516/24 जी0एस0 (68)13—1 दिनांक 09.05.2017 पर विचार करना व निर्णय लेना।**

**निर्णय—**

माननीय श्री राज्यपाल कार्यालय के आदेश संख्या—ई—4997/जी0एस0 दिनांक 13 जून 2014 को कार्यपरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी 2016 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा प्रकरण का गहन अध्ययन और विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से त्रिसदस्यीय निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया था—

(1) मा0 न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस0के0 त्रिपाठी — अध्यक्ष

(2) श्री एन0एस0 कुशवाहा, सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 — सदस्य

(3) डॉ0 अशोक मित्तल, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ — सदस्य

कुलसचिव विश्वविद्यालय समिति के समन्वयक बनाये गये थे।

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–621/उ0अ0फा0वि0वि0/2016/19/10 दिनांक 08 फरवरी 2016 के प्रस्तर–2 से समिति से चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न शिकायतों/प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुये निम्न बिन्दुओं को अपने परीक्षण में सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण प्रकरण की रिपोर्ट की अपेक्षा की गई थी–

1. विश्वविद्यालय में चयनित 29 अभ्यर्थियों के चयन की चयन समितियों की संवैधानिकता।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा पदवार निर्धारित अर्हताओं की वैधता/अवैधता।
3. विश्वविद्यालय एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की अर्हतायें।

विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में नियुक्त व अद्यतन कार्यरत् शिक्षकों के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की 8वीं बैठक दिनांक 18.03.2017 में माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस0के0 त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित श्री एस0एन0 कुशवाहा एवं प्रोफेसर अशोक मित्तल की त्रिसदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.02.2017 की संस्तुतियों पर दी गई सहमति तथा कार्यपरिषद के निर्णयानुसार माननीय कुलाधिपति महोदय की सहमति (Concurrence) व मार्गदर्शन (Guidance) प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पत्र संख्या–1146/उअफाविवि/कुसका/17/19/10 दिनांक 20 अप्रैल 2017 के संदर्भ में माननीय कुलाधिपति कार्यालय के पत्र सख्या–ई–3516/24 जी0एस0 (68)13–1 दिनांक 09.05.2017 का अवलोकन किया। माननीय कुलाधिपति कार्यालय का उक्त पत्र दिनांक 09.05.2017 कार्यसूची के साथ संलग्न है।

कार्यपरिषद ने अपनी 8वीं बैठक के निर्णयानुसार तथा माननीय कुलाधिपति कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 09.05.2017 के आलोक में निम्नलिखित 23 शिक्षकों के सम्बन्ध में त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2017 को अंतिम रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया–

1. प्रो0 सय्यद हैदर अली, व्यवसाय प्रबंधन
2. प्रो0 सय्यद शफ़ीक़ अहमद अशरफ़ी, उर्दू

3. डॉ0 एहतेशाम अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य
4. डॉ0 चन्दना डे, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा
5. डॉ0 सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर, उर्दू
6. डॉ0 मुशीर अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधन
7. डॉ0 जावेद अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फारसी
8. डॉ0 मो0 अकमल, असिस्टेंट प्रोफेसर, उर्दू
9. डॉ0 वसी अहमद आजम अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उर्दू
10. डॉ0 मुर्तजा अली अतहर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उर्दू
11. डॉ0 मजहर खालिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस
12. डॉ0 नीरज शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य
13. डॉ0 पूनम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास
14. डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधन
15. सुश्री दोआ नक्वी, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधन
16. डॉ0 सबीना बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल
17. डॉ0 तनु डंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार
18. सुश्री रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार
19. डॉ0 प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान
20. सुश्री ततहीर फात्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान
21. डॉ नलिनी मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा
22. सुश्री बुशरा अलवेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा
23. डॉ0 मो0 शारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा

**मद संख्या–4**

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 04.05.2016 एवं (चतुर्थ संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार व्यवस्थाओं/प्राविधानों को इस विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान सम्मिलित/प्रतिस्थापित किये जाने पर विचार।**

निर्णय–

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–124/सत्तर–1–2017 –16(114)/2010टी0सी दिनांक 08 अप्रैल 2017 द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये हैं–

**शासनादेश संख्या–2840/सत्तर–1–2010 दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तथा शासनोदश संख्या–377/सत्तर–1–2013–16(114)/2010 दिनांक 03 सितम्बर 2013 द्वारा उत्तर प्रदेरश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बन्ध में लागू किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के उपरोक्त नियमन, 2010 के विनियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नइ दिल्ली की अधिसूचना संख्या–एफ.1–2/2009(ईसी/पीएस)5(1) खण्ड–2 दिनांक 13 जून 2013, अधिसूचना संख्या–एफ.1–2/2016 (पीएस/संशोधन) दिनांक 04 मई 2016 तथा अधिसूचना संख्या– मि0स01–2/2016(पीएस/संशोधन) दिनांक 11 जुलाई 2016 द्वारा किये गये संशोधनों को उत्तर प्रदेश राज्स विश्वविद्यिालय अधिनियम–1973 की धारा 50(6) के अन्तर्गत इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल एतदद्वारा प्रदान करते है कि जिन पदों पर पूर्व नियमों/व्यवस्था के आलोक में चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण हो गई हो अथवा प्रचलित हो उन पर विज्ञापन की शर्तो आदि में अब परिवर्तन नहीं किया जायेगा।**

**कृपया विश्वविद्यालय के परिनियमों में उपर्युक्तानुसार प्राविधान विश्वविद्यालय स्तर पर समाहित कर लिये जायें तथा अनुपालन आख्या शासन को 15 दिन में उपलब्ध कराई जाये।**

परिनियमावली में उक्तानुसार संशोधन हेतु कुलाधिपति कार्यालय को प्रेषित विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–809/उअफाविवि/कुसका/2017 दिनांक 11.01.2017 तथा पत्रांक 1129/उअफाविवि/कुसका/2017 दिनांक 14 अप्रैल 2017

के संदर्भ में माननीय कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या–ई–497–ई–3167/24 जी0एस0 2016 दिनांक 09.05.2017 के निदेशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) द्वारा शिक्षकों एवं अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (द्वितीय संशोधन) विनियम–2013 दिनांक 13.06.2013, (तृतीय संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 04.05.2016 एवं (चतुर्थ संशोधन) विनियम–2016 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार व्यवस्थाओं/प्राविधानों को इस विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यथास्थान सम्मिलित/प्रतिस्थापित किये जाने में साम्यता (Resemblance), सुसंगतता (Relevance) एवं समानता (Common) को सुनिश्चित करते हुये कार्यसूची के पृष्ठ संख्या–135 से 159 को यथास्थान विहित प्रक्रियानुसार प्रथम परिनियमावली में प्रतिस्थापित किये जाने का संकल्प/प्रस्ताव पारित किया।

साथ ही शासनादेश संख्या–1003/सत्तर–1–2016–16(29)/2011 दिनांक 25 अक्टूबर 2016 के निर्देशानुसार उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा "सुसंगत स्तनाक उपाधि या उपाधियों में द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक" को परिनियमावली में यथास्थान विहित प्रक्रियानुसार प्रतिस्थापित/समाहित किये जाने का संकल्प/प्रस्ताव पारित किया।

कार्यपरिषद ने अग्रेत्तर यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त संकल्पों/प्रस्तावों के अनुसार परिनियमावली में संशोधन का प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति हेतु भेजा जाए।

**मद संख्या–5**

**विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.05.2017 में लिये गये निर्णयों का प्रस्तुतीकरण।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.05.2017 की कार्यवाही तथा उसमें दी गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया। कार्यसूची के

पृष्ठ संख्या–16 पर मद संख्या–5 में अंकित बिन्दु संख्या–1 से 8 पर कार्यपरिषद ने अनुरोधानुसार विशिष्ट रूप से अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की।

**मद संख्या–6**

**विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की बैलेंस शीट अनुमोदित करने के सम्बन्ध में।**

**निर्णय–**

प्रकरण को आगामी बैठक तक के लिये स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या–7**

**विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यों की प्रगति आख्या।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद प्रस्तुत प्रगति आख्या से अवगत हुई। अग्रेत्तर कार्यपरिषद ने यह निर्देश दिये कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक पीरियड में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों क्लास रूम पर लगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। कार्यपरिषद ने अग्रेत्तर यह भी अपेक्षा की कि बायोमेट्रिक अटेन्डेंस के उपकरणों की सुरक्षा के लिये भी यथाआवश्यक प्रबन्ध कर लिये जायें।

**मद संख्या–8**

**सुश्री बुशरा अलवेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा एवं श्रीमती दोआ नक्वी, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट के अध्ययन अवकाश सम्बन्धी आवेदन पर विचार।**

**निर्णय–**

शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत कार्यपरिषद ने दोनों शिक्षकों के अध्ययन अवकाश सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों पर असहमति व्यक्त की।

**मद संख्या–9**

**विश्वविद्यालय छात्रावासों के एलाटमेंट रूल्स का अनुमोदन के विचारार्थ प्रस्तुतिकरण।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद ने प्रस्तुत छात्रावासों के एलाटमेंट रूल्स का अनुमोदन किया।

**मद संख्या–10**

**दिनांक 30.05.2017 को विश्वविद्यालय के 3 भवनों का माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के कर कमलों द्वारा उद्घाटन की सूचना को प्राप्त करना।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद अवगत हुई तथा उत्तरोत्तर हो रही विश्वविद्यालय प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

**मद संख्या–11**

**शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु प्रास्पेक्टस का प्रस्तुतिकरण।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद ने प्रास्पेक्टस 2017–18 के विभिन्न प्राविधानों पर अनुमोदन प्रदान किया।

**मद संख्या–12**

**वाणिज्य विभाग के बी0काम0 (आनर्स) पाठ्यक्रम के प्रकरण पर विचार करना तथा निर्णय लेना।**

**निर्णय–**

कार्यपरिषद ने वाणिज्य विभाग के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम का नाम बी0काम0 आनर्स रखे जाने से सम्बन्धित बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्णय लिया कि चूंकि सत्र 2015–16 के प्रास्पेक्टस में तथा प्रगामी वर्षों के प्रास्पेक्टस में भी बी0काम0 आनर्स कोर्स नेम अंकित रहा है अतः

सत्र 2015–16 व प्रगामी वर्षों में स्नातक स्तरीय वाणिज्य पाठ्यक्रम का नाम बी0काम0 आनर्स ही माना जाये।

**मद संख्या–13**

**माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार।**

**मद संख्या–13.1**

**विश्वविद्यालय परिसर में इग्नू अध्ययन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में विचार।**

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की लखनऊ क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 मनोरमा सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में इग्नू का अध्ययन केन्द्र खोले जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया है। कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में इग्नू का अध्ययन केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की।

साथ ही कार्यपरिषद ने यह भी अपेक्षा की कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र भी विश्वविद्यालयस में खोले जाने हेतु विहित प्रक्रियानुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

**(एस0के0 शुक्ल)**
**कुल सचिव / सचिव, कार्यपरिषद**

**(प्रो0 ख़ान मसऊद अहमद)**
**कुलपति / अध्यक्ष, कार्यपरिषद**